संख्या-177/2024/1461/22-2-2024-17(383)/2024

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 16 अक्टूबर, 2024*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र उर्फ सुन्दा पुत्र श्री नरायन, निवासी जनपद-मथुरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-27468/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-03.09.2024, दिनांक 09.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र उर्फ सुन्दा पुत्र श्री नरायन, ग्राम-नौगांव, थाना-छाता, जनपद-मथुरा का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 28/29.06.1982 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठी व बल्लम से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-202/1982 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, पंचम अति0 सत्र न्यायाधीश, मथुरा के आदेश दिनांक 05.02.1983 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.09.2018 द्वारा निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 31.07.2023 तक 01 वर्ष, 09 माह, 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष, 11 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा प्रश्नगत बन्दी के द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 31.07.2023 तक अपरिहार 01 वर्ष, 09 माह, 21 दिन एवं सपरिहार 01 वर्ष, 11 माह 13 दिन की भोगी गयी सजा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र उर्फ सुन्दा (बन्दी संख्या-18617) पुत्र श्री नरायन, निवासी जनपद-मथुरा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-177/2024/1461(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को स्पेशल लीव पिटीशन (क्रि0) डायरी नं0-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुन्दा बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 03.09.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार द्विवेदी

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।